तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकामजोइत्तला की तामीलमेंजारीहुए
10/6/19	वकील फरीकैन उप0। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश निर्णय 27/6/19 को पेश हो। एवं काउन्टर क्लेम पृथक	
27/6/19	वकील फरीकैन उप0। दावा वादीगण खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुदा होकर नम्बर से कम हो।	

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख निर्णय
32/16	दावा	02.06.16	25.06.19

1. किशोरी पुत्र हरदेव आयु 60 साल
2. सुरज्ञान पुत्र मिश्रा आयु 40 साल जाति बैरवा निवासी नारोली डांग तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

—वादीगण

बनाम

1. सीताराम पुत्र हजारी सभी जातिगण बैरवा निवासीयान नारौली डांग तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
2. राधा पत्नि सीताराम
3. अनिल पुत्र सीताराम
4. सुनिल पुत्र सीताराम
5. शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे शाखा नारौली डांग
6. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
7. सब रजिस्ट्रार तहसील सपोटरा जिला करौली।

—प्रतिवादीगण

वद पत्र घोषणा खातेदारी इन्द्राज दुरस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः— श्री केशव कुमार गोतम वकील वादीगण।
श्री शेरसिह वकील प्रतिवादीगण।

संक्षेप में वाद तथ्य वादीगण इस प्रकार से है कि वादी ने एक वाद विरूद्व प्रतिवादी इस आशय का पेश किया है कि वादीगण के कब्जे स्वामित्व आधिपत्य की कृषि भूमि साबिक खसरा नं0 76/13 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा भूमि वाके ग्राम मांढा तहसील सपोटरा मे स्थित है। जिस पर वादीगण का बजमाने बुजूर्गानों के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त खसरा नं0 का भू प्रबन्ध विभाग ने नवीन खसरा नं0 222 है जिसमे वादीगण के कब्जे की उक्त भूमि को ट्रेस शीट के अनुसार खसरा नं0 222 रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा भूमि दर्ज कर दी है। वादीगण का अपने पितामह सोज्या पुत्र पून्या के जीवनकाल के समय साबिक खसरा नं0 76/13 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा का नवीन खसरा नं0 222 रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा भूमि पर काफी अर्से से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण कब्जे काश्त की उक्त भूमि से वादीगण का दूर दूर तक कोई सम्बन्ध नही है। वादीगण के पितामह सोज्या के पिता पून्या व प्रतिवादीगण के पितामह पून्या के नाम मे समानता होने से उक्त दर्ज विवादित भूमि का राजस्व कर्मियों प्रतिवादीगण ने साज कर प्रतिवादीगण का नाम गलत रूप से वादीगण के बिना जानकारी के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे इन्द्राज करा लिया जो वादीगण के खातेदारी काशतकारी अधिकारों पर प्रभावहीन एवं शून्य है। उक्त विवादित भूमि पर वादीगण दिनांक 25.05.2016 को साफ सफाई करने गये तो प्रतिवादीगण मौके पर आ गये और आते ही एलानिया धमकी देकर कहा कि दर्ज भूमि पर अब हम तुम्हे फसल काश्त नही करने देगें तथा ना ही तुम्हे फसल काश्त का लाभ उठाने देगें, दर्ज भूमि से तुम्हे बेदखल करके रहेगें। वादीगण ने प्रतिवादीगण को काफी समझाया लेकिन प्रतिवादीगण नही माने और वादीगण से मौके पर ही आमादा फिसाद हो गये। इसलिए वादीगण ने वाद पत्र पेश कर उक्त दर्ज भूमि का वादीगण के नाम घोषणा खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दुरस्त कराने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया है।

(तारामती बैरवा)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा, जिला-करौली

दावा वादीगण दर्ज कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी सं0 5 बावजूद तामील उपस्थित न्यायालय नही आये है इसलिए इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही को आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी सं0 6 तथा 7 के प्रतिनिधि ने प्रकरण मे राज्य हित प्रभावित नही होने के कारण कोई जवाब दावा पेश नही किया। प्रतिवादी सं0 1 ता

क्योंकि वादीगण मुझ प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी एवं कब्जा काश्त को
चाहते है। जबकि मुझ प्रतिवादी ने माननीय न्यायालय हाजा मे मुकदमा नं0 310/94 उनवानी
सीताराम बनाम रामसहाय वगै0 मे खसरा नं0 222 रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा मौजा मांढा
फाईनल डिक्री हुआ था। इसलिए दावा वादी खारिज किया जाकर वादीगण को जरिय स्थायी
निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। वादीगण ने काउन्टर क्लेम का जवाब पेश कर कथन किया है
कि काउन्टर क्लेम के तथ्य गलत है और स्वीकार नही है। प्रतिवादीगण हम वादीगण की
उक्त दर्ज भूमि पर जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी नही है। प्रतिवादीगण
का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नही है। आराजी खसरा नं0 222 रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा
वादीगण के बुजूर्गों के समय से कब्जा व स्वामित्व बना हुआ है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि
से कोई वास्ता नही है। इसलिए प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज होने येाग्य है।

वाद तथ्य, जवाबदावा, जवाबुल जवाब एवं पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अनुतोष सहित किता किता 6 तनकीयात कायम की गई। वकील वादीगण ने कोई मौखिक साक्ष्य पेश नही किये तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे वकील वादी द्वारा नकल जमाबंदी ग्राम मीणापुरा सम्बत् 2069–72 पेश की है। प्रतिवादी सीताराम का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया किन्तु प्रतिवादी सीताराम अपनी जिरह हेतु उपस्थित नही होने के कारण इसकी जिरह बंद की जाकर साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये है।

विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। दावा, जवाबदावा, उपलब्ध दस्तावेजों व बहस के अनसुार तनकीवाईज विवेचन निम्न प्रकार हैः–

1. **आया वाके ग्राम मांढा तहसील सपोटरा की विवादित आराजी वादीगण के कब्जे स्वामित्व व आधिपत्य की है जिस पर वादीगण का बजमाने बुजूर्गानों के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है ?** इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सं0 2069–72 ग्राम मीणापुरा के अनुसार विवादित आराजी प्रतिवादी सं0 1 सीताराम की खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। वादीगण का उक्त आराजी मे कोई हिस्सा दर्ज नही है। किन्तु पटवारी हलका से तलब की गई मौका रिपोर्ट के आधार पर विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा होना पाया जाता है। वादीगण ने कोई मौखिक साक्ष्य पेश नही किये है ना ही कोई प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है जिससे यह साबित हो सके कि विवादित आराजी वादीगण या अपने कोई पूर्वजों की खातेदारी मे रही हो। इसलिए यह तनकी आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।
2. **आया वादीगण के पितामह सोज्या के पिता पून्या व प्रतिवादीगण के पिता पून्या के नाम समानता होने से उक्त विवादित भूमि का राजस्व कर्मियों से साज कर प्रतिवादीगण नें राजस्व रिकार्ड मे गलत इन्द्राज करा लिया, इसलिए विवादित भूमि की वादीगण अपने नाम घोषणा खातेदारी कराने के अधिकारी है ?** इस तनकी को भी साबित करने का भार वादीगण पर है। जमाबंदी के अनुसार विवादित आराजी प्रतिवादी सं0 1 की सेपरेट खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि मे वादीगण का कोई भी हिस्सा दर्ज नही है। वादीगण ने कोई मौखिक साक्ष्य पेश नही किये है ना ही कोई प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है जिससे यह साबित हो सके कि विवादित आराजी वादीगण या अपने कोई पूर्वजों की खातेदारी मे रही हो। इसलिए वादीगण विवादित आराजी की घोषणा खातेदारी कराने के अधिकारी नही है। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्व तय की जाती है।
3. **आया वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है ?** इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। तनकी नं0 2 से यह साबित हो चुका है कि वादीगण विवादित आराजी की घोषणा खातेदारी कराने के अधिकारी नही है। विवादित आराजी के प्रतिवादीगण मुताबिक जमाबंदी ग्राम मीनापुरा सम्बत् 2069–72 खातेदार दर्ज रिकार्ड है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी नही है। अतः यह तनकी विरूद्व

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा, जिला–करौली

4. **आया विवादित आराजी प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है जिसका एक दावा न्यायालय हाजा द्वारा मुकदमा सं0 310/94 उनवानी सीताराम बनाम रामसहाय वगै0 फाईनल डिक्री किया जा चुका है, इसलिए दावा वादीगण खारिज किये योग्य है तथा प्रतिवादीगण वादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है ?** इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। वाद पत्र मे उपलब्ध जमाबंदी ग्रम मीनापुरा सम्बत् 2069–72 के अनुसार विवादित आराजी प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है किन्तु मौका रिपोर्ट सम्बन्धित पटवारी के अनुसार विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त है प्रतिवादीगण का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नही है, कब्जा के अभाव मे किसी पक्षकार को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना कानूनन उचित नही है। इसलिए यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

5. **आया प्रतिवादीगण का कभी विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नही रहा है, इसलिए काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण खारिज किये जाने योग्य है ?** इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। पटवारी हलका की मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नही है और कब्जा के अभाव मे स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष दिया जाना कानूनन उचित नही है, इसलिए प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज किये जाने योग्य है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष मे विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

6. **अनुतोषः–** उपर्युक्त तनकीवाईज विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादीगण विवादित आराजी की घोषणा खातेदारी अपने नाम कराने एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी नही है तथा प्रतिवादीगण भी वादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी नही है। वादीगण तनकी नं0 1 को आंशिक रूप से अपने पक्ष मे, तनकी नं0 5 को अपने पक्ष मे साबित करने मे सफल रहे है, तनकी नं0 2 व 3 को अपने पक्ष मे साबित करने मे असफल रहे है तथा तनकी नं0 4 को प्रतिवादीगण अपने पक्ष मे साबित करने मे असफल रहे है। इसलिए वादीगण का वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम दोनो खारिज किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण दोनो खारिज किये जाते है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश आज दिनांक 25.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

(तारामती वैष्णव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली